

तारीख  
हुक्म

S-06-24

पत्रावली पेश हुई। वादी अधिवक्ता उपरिद्ध  
वादी हेमराज द्वारा फिनांक 1.05.24 को वाद  
नोट प्रेस किए जाने लाबत प्रकृत प्रार्थना पत्र  
रिकॉर्ड पर लिखा गया। वादी अधिवक्ता द्वारा  
अवगत कराया गया कि वादी वाद को आगे  
चलाना नहीं चाहते हैं वादी अधिवक्ता का यह  
वाद पत्र को नोट प्रेस किया गया। अतः वाद  
पत्र नोट प्रेस किए जाने से पत्रावली खारिज  
की जाती है। पत्रावली समाप्त करण दर्ज नम्बर  
से कम होकर वाद पूर्ण दारिबत दफ्तर है।

मन्ने...

को (10)...

उपखण्ड अधिकारी  
ठासेरी (बुन्दी)